

प्रेषक,

आशीष तिवारी,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)
भारत सरकार, पर्यावरण,, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय भवन
पंचम तल सेक्टर एच, अलीगंज विस्तार
लखनऊ।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 04 जुलाई 2017

विषय:- गाजियाबाद में दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेस-वे (ग्रीन फील्ड परियोजना) के निर्माण हेतु 14.018 हे० आरक्षित वन भूमि एवं 1.035 हे० संरक्षित वन भूमि कुल 15.053 हे० संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 2760 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बंध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया आपको सम्बोधित एवं शासन को पृष्ठांकित मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या-2466/गाजियाबाद/10947/2015, दिनांक 01 जून, 2017का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में परियोजना में 2760 वृक्ष एवं 8171 पौधे कुल 10931वृक्ष/पौधे प्रभावित होने की सूचना आपके कार्यालय को प्रेषित किया गया है।

2- अतएव मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी के पत्र दिनांक 01-6-2017 द्वारा उपलब्ध कराये गये कतिपय सूचना की (एक प्रति) संलग्न कर प्रेषित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।


भवदीय,


(आशीष तिवारी)
विशेष सचिव।

संख्या-1383(1)/14-2-2017-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०,लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनु सचिव।